अध्याय-3

74वें संविधान संशोधन अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन

3.1 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के साथ राज्य स्तरीय विधानों की तुलना

74वें संविधान संशोधन अधिनियम ने नगर निकायों से संबंधित कुछ प्रावधानों को आरंभ किया जैसा कि अनुच्छेद 243क्यू से 243जैडजी में शामिल किया गया है। राज्य सरकार ने हरियाणा नगरपालिका अधिनियम में संशोधनों और हरियाणा नगर निगम अधिनियम के अधिनियमन द्वारा 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप प्रावधानों को आरंभ किया जैसा कि **तालिका 3.1** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.1: 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के प्रावधानों के साथ राज्य स्तरीय विधानों की तुलना

भारतीय संविधान के प्रावधान	भारतीय संविधान के प्रावधान के अनुसार अपेक्षा	राज्य अधिनियम/अधिनियमों के प्रावधान (धारा-वार)
अनुच्छेद 243क्यू	**नगरपालिकाओं का गठन:** यह तीन प्रकार की नगरपालिकाओं के गठन का प्रावधान करता है, अर्थात् परिवर्तित क्षेत्र के लिए एक नगर पंचायत, एक छोटे शहरी क्षेत्र के लिए एक नगर परिषद और एक बड़े शहरी क्षेत्र के लिए एक नगर निगम।	हरियाणा नगरपालिका अधिनियम की धारा 2 (ए) और हरियाणा नगर निगम अधिनियम की धारा 3
अनुच्छेद 243आर	**नगरपालिकाओं की संरचना:** नगरपालिका में सभी सीटों को प्रत्यक्ष चुनाव और नगरपालिका प्रबंधन में विशेष ज्ञान रखने वाले सरकार द्वारा नामित व्यक्तियों द्वारा भरा जाएगा। किसी राज्य का विधानमंडल कानून द्वारा संसद सदस्यों और विधान सभा के सदस्यों, जिनके निर्वाचन क्षेत्र नगरपालिका क्षेत्र में स्थित हैं, तथा राज्य परिषद और राज्य विधान परिषद के सदस्यों, जो शहर के भीतर निर्वाचक के रूप में पंजीकृत हैं, को नगरपालिका में प्रतिनिधित्व प्रदान कर सकता है।	हरियाणा नगरपालिका अधिनियम की धारा 9 और हरियाणा नगर निगम अधिनियम की धारा 4
अनुच्छेद 243एस	**वार्ड समिति का गठन और संरचना:** यह तीन लाख या अधिक की आबादी वाली सभी नगरपालिकाओं में वार्ड समितियों के गठन का प्रावधान करता है।	हरियाणा नगरपालिका अधिनियम की धारा 34 और हरियाणा नगर निगम अधिनियम की धारा 10
अनुच्छेद 243टी	**सीटों का आरक्षण:** प्रत्यक्ष चुनाव के लिए अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति, महिलाओं और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित सीटें।	हरियाणा नगरपालिका अधिनियम की धारा 10 और हरियाणा नगर निगम अधिनियम की धारा 11
अनुच्छेद 243यू	**नगरपालिकाओं की अवधि:** नगरपालिका का इसकी पहली बैठक की तारीख से पांच साल का एक निश्चित कार्यकाल है और कार्यकाल की समाप्ति के छ: माह के भीतर फिर से चुनाव करवाया जाना है।	हरियाणा नगरपालिका अधिनियम की धारा 12 और हरियाणा नगर निगम अधिनियम की धारा 5

भारतीय संविधान के प्रावधान	भारतीय संविधान के प्रावधान के अनुसार अपेक्षा	राज्य अधिनियम/अधिनियमों के प्रावधान (धारा-वार)
अनुच्छेद 243वी	**सदस्यता के लिए निरर्हताएं:** किसी व्यक्ति को नगरपालिका की सदस्यता के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा: • यदि वह संबंधित राज्य के विधानमंडल के चुनावों के प्रयोजनों के लिए उस समय लागू किसी कानून द्वारा या उसके तहत अयोग्य है। • यदि वह राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी कानून द्वारा या उसके तहत अयोग्य है।	हरियाणा नगरपालिका अधिनियम की धारा 13 (ए) और हरियाणा नगर निगम अधिनियम की धारा 8
अनुच्छेद 243डब्ल्यू	**नगरपालिकाओं की शक्तियां, अधिकार और उत्तरदायित्व:** सभी नगरपालिकाओं को ऐसी शक्तियों के साथ सशक्त किया जाएगा जो उन्हें स्व-शासन की प्रभावी संस्थाओं के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हों। राज्य सरकार 12वीं अनुसूची के संबंध में उत्तरदायित्वों को पूरा करने हेतु उन्हें सक्षम बनाने के लिए ऐसी शक्तियां और अधिकार सौंपेगी।	हरियाणा नगरपालिका अधिनियम की धारा 66ए और धारा हरियाणा नगर निगम अधिनियम की धारा 41 से 42
अनुच्छेद 243एक्स	**नगरपालिकाओं द्वारा कर लगाने की शक्ति और उनकी निधियां:** • नगरपालिकाओं को कर, फीस, शुल्क आदि लगाने और एकत्र करने का अधिकार होगा। • राज्य से नगरपालिकाओं को अनुदान सहायता दी जाएगी • नगरपालिका द्वारा धन जमा करने और निकालने के लिए निधियों का गठन	हरियाणा नगरपालिका अधिनियम की धारा 56, 57, 69 और 70 और हरियाणा नगर निगम अधिनियम की धारा 72, 78, 87 और 88
अनुच्छेद 243आई के साथ पठित अनुच्छेद 243वाई	**वित्त आयोग:** राज्य सरकार वित्त आयोग का गठन करेगी जो: • नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करेगा और ऐसे कदम उठाएगा जो नगर निकायों की वित्तीय स्थिति को बढ़ाने में मदद करें। • राज्य सरकार द्वारा प्रभारित करों, फीसों, टोलों और शुल्कों की निवल आय का राज्य और नगरपालिकाओं के बीच वितरण करेगा। • राज्य की समेकित निधि से राज्य में नगर निकायों को निधियां आबंटित करेगा।	हरियाणा नगरपालिका अधिनियम की धारा 68ए और हरियाणा नगर निगम अधिनियम की धारा 82
अनुच्छेद 243जैड	**नगरपालिकाओं के लेखों की लेखापरीक्षा:** यह नगरपालिकाओं द्वारा लेखों के रखरखाव और ऐसे लेखों की लेखापरीक्षा का प्रावधान प्रदान करता है।	नगरपालिका लेखा संहिता 1930 के पैरा 1.7 के साथ पठित हरियाणा नगरपालिका अधिनियम की धारा 203एन और हरियाणा नगर निगम अधिनियम की धारा 168

भारतीय संविधान के प्रावधान	भारतीय संविधान के प्रावधान के अनुसार अपेक्षा	राज्य अधिनियम/अधिनियमों के प्रावधान (धारा-वार)
अनुच्छेद 243के के साथ पठित अनुच्छेद 243जैडए	**नगरपालिकाओं के चुनाव:** नगरपालिकाओं के चुनाव की सभी प्रक्रियाओं का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण राज्य चुनाव आयोग के पास निहित होगा।	हरियाणा नगरपालिका अधिनियम की धारा 3ए और हरियाणा नगर निगम अधिनियम की धारा 9
अनुच्छेद 243 जैडडी	**जिला योजना समिति:** • जिला स्तर पर जिला योजना समिति का गठन। • जिला योजना समिति की संरचना। • विकास योजना का प्रारूप तैयार कर सरकार को अग्रेषित करना।	हरियाणा नगरपालिका अधिनियम की धारा 203-बी
अनुच्छेद 243जैडई	**मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी:** 10 लाख या उससे अधिक की आबादी वाले हर मेट्रोपॉलिटन एरिया में मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी के गठन का प्रावधान, ताकि पूरे मेट्रोपॉलिटन एरिया के लिए डेवलपमेंट प्लान का ड्राफ्ट तैयार किया जा सके।	हरियाणा नगर निगम अधिनियम की धारा 417

उपर्युक्त तालिका दर्शाती है कि अधिनियमित विधियां 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन करती हैं। हालांकि, कानून द्वारा संवैधानिक प्रावधानों का अनुपालन जमीनी स्तर पर प्रभावी विकेंद्रीकरण की गारंटी नहीं देता जब तक कि प्रभावी कार्यान्वयन का पालन न किया जाए। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि कानूनी प्रावधानों को निर्णायक कार्रवाइयों द्वारा समर्थित नहीं किया गया था जिसके परिणामस्वरूप ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई जिसमें 74वें संविधान संशोधन अधिनियम की भावना फलीभूत नहीं हुई। यह विशेष रूप से प्रभावी विकेंद्रीकरण के लिए कार्यों के हस्तांतरण और उपयुक्त संस्थागत तंत्र के सृजन से संबंधित प्रावधानों के मामले में सच था, जिनकी चर्चा अनुवर्ती अध्यायों में की गई है।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान, विभाग ने प्रतिवेदन की तालिका 3.1 में उल्लिखित 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के प्रावधानों के साथ अधिनियमित विधियों (हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 और हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994) के अनुपालन के तथ्यों की पुष्टि की।